

9/12
25 पत्रावली पेश हुई। वार-वार आवाज दिलाने पर भी सायलान एवं उनके अप्पिकका उप नहीं हुए। अतः सु. नं. 109/2025 उनवान अम्मन बनाम ठंसा T.J. ताभना पर अग्याई सिबेवप्रा अरम पैरवी अरम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकनील नं. से कम भी जाकर मूल डाके के साथ शामिल मिसल रहे।

आदेश खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

उपरोक्त अधिकारी
विण्डोन सिटी (कराला)